न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1301 वर्ष 2022
(सी0जी0 नम्बर 101 वर्ष 2022)
दिनेश सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या 203 वर्ष 2022
अन्तर्गत धारा 307 भा0द0सं0।
थाना–ऋषिकेश, जिला देहरादून।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता– श्री प्रशान्त कुमार शर्मा।
अभियोजन की ओर से–श्री राजेश पैन्यूली
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

दिनांक 18–08–2022

अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी ग्राम डोबरा, पोस्ट मराल, तहसील यमकेश्वर जिला पौडीगढवाल की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु0अ0सं0 203 वर्ष 2022 अन्तर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्त की ओर से मदन सिंह पुत्र स्व0 बलदेव सिंह द्व ारा शपथ पत्र दाखिल किया गया।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा तोताराम राज द्वारा दिनांक 05.05.2022 को थाना ऋषिकेश को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसकी पुत्री अनीता का विवाह दिनेश पुत्र मदन सिंह के साथ हुआ था। दिनांक 04.05.2022 को दिनेश ने उसकी पुत्री अनीता को बुरी तरह से मारा था जिसका इलाज सरकारी अस्पताल ऋषिकेश में चल रहा है। उक्त मारपीट में उसकी बेटी को गंभीर चोटें आयी जिसकी रिपोर्ट उसने लक्ष्मणझूला थाने में दर्ज करायी थी। आज दिनांक 05. 05.2022 को दिनेश ने अस्पताल में आकर उसकी बेटी को जान से मारने की नियत से चाकू से उसका गला काट दिया तथा मौके से भाग गया। उसकी बेटी की हालत गंभीर है। जिस कारण वादी मुकदमा के द्वारा सम्बन्धित थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने अपने जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वह निर्दोष है, उसें उक्त मामले में पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है और उसने कोई घटना कारित नहीं की है। अभियुक्त व वादी मुकदमा की पुत्री आपस में पति–पत्नी है। अभियुक्त को ब्लैकमेल करने की नियत से उस पर दबाव बनाने के आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। उसके वृद्ध माता पिता है तथा उसके पिता बीमार है। मामले में आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.05.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त द्वारा उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री अर्थात अपनी पत्नी का चाकू से गला काटा गया है तथा उसकी हालत बहुत गंभीर थी । मामला गंभीर प्रकृति का है तथा अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। यदि अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो उसके फरार होने तथा साक्ष्य को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र

निरस्त किया जाये।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा प्रपत्रों एवं मूल पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के परिशीलन व पक्षकारों के तर्क–वितर्को से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनांक 06.05.2022 से जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है तथा अभियुक्त व पीडिता आपस में पति–पत्नी है। मामले में आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा मामले के गुणदोष पर विचार किये बिना, इस स्तर पर मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को मद्देनजर रखते अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत दर्शित हो रहा है। लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को **₹ 50,000–** (₹ पचास हजार) का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रत्येक 50,000–50,000/रू0 के सम्बंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनकी संतुष्टि पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

(नसीम अहमद)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
ऋषिकेश, देहरादून।